UPST010057942026

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), कक्ष संख्या–04, सुलतानपुर।

उपस्थितः श्री श्याम मोहन जायसवाल, एच०जे०एस०

(J.O. Code– UP 2651)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2117/2026

सत्यनारायण पाल सुत सीताराम पाल,
निवासी ग्राम– करेथा गोसलपुर, थाना–दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

---------- **अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र०राज्य .....**विपक्षी/अभियोगी**

मुकदमा अपराध सं०–132/2025,
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट,
थाना–दोस्तपुर, जिला–सुलतानपुर।

दिनांक–30.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र– 2117/2026, मुकदमा अपराध संख्या–132/2025 अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, थाना– दोस्तपुर, जिला–सुलतानपुर, के जेरे हिरासत मुल्जिम सत्यनारायण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्यामकली पाल के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानात प्रार्थना–पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानात प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंड–पीठ या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निस्तारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है महज हैरान व परेशान करने की नियत से अभियुक्त बनाया गया है। प्राथिमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त के पास से को भी मादक पदार्थ गांजा कि प्राप्त नहीं कि गयी है। प्राथिमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है उक्त वाद के अभियुक्तगण के पास से संयुक्त रूप में मात्र 2.145 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया है किन्तु किस प्राधिविधिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त की तलाशी सबंधी नियमों कि पूर्णतया अवहेलना की गयी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों कि पूर्णतया अवहेलना है क्यूंकि एन०डी०पी०एस० ऐक्ट की धारा–42 स्पष्ट कहती है कि तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट द्वारा कि जाएगी किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पहले पुलिस द्वारा तलाशी पूर्ण करने के बाद पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से कहा गया है कि मादक पदार्थ की तलाशी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कि जाएगी और फिर प्रार्थी/अभियुक्त से सहमति पत्र लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण नियोजित योजना के तहत आरोप को गढ़ा गया है। प्राथिमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा

एन०डी०पी०एस० ऐक्ट की धारा–50 व सपाठित बी०एन०एस०एस०–2023 की धारा–103 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों जिसमें स्पष्टतया कहा गया है कि यह धारा आदेशात्मक है इसलिए स्वतंत्र साक्षियों कि गवाही आवश्यक है। किन्तु फिर भी पुलिस प्रशासन ने इसका कुछ भी पालन नहीं किया और झूंठा केस बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है पुलिस प्रशासन द्वारा एन०डी०पी०एस० ऐक्ट की धारा–41, 42, 50, व सपाठित बी०एस०एस०एस०–2023 की व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों की पूर्णतयः अवहेलना की गयी है जिस कारण भी प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध एन०डी०पी०एस० ऐक्ट कि धारा 20 (बी) (ii) (ए) तहत ही विचरण योग्य प्रतीत होता है जो अल्पमात्रा में है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से व जब्त किये गए साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि कथित बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से नहीं कि गयी जो कि कारित करने के लिए अधिनियम का अपराध कर कि धारा–50 के अनुसार मुख्य तथ्य है तथा जिससे स्पष्ट है कथित प्रकरण से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है क्यूंकि कथित घटना में पुलिस के कथनानुसार जो पेटियम क्यूआर कोड प्राप्त किया गया है वह भी सह–अभियुक्त का है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्वीक दोषसिद्धि का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और परिवार का जीवि –कोपार्जन करते है तथा जिसका अपराध जैसे समाज विरोधी कृत्य से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। घटना उपरोक्त का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–16.06.2026 को उ0नि0 जगदीश सिंह मय हमराहियान मय सरकारी वाहन UP 44 G 0352 के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामूर था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रही थी तथा जिसमें लिखा था कि सुलतानपुर मे धडल्ले से बिक रहा अवैध गांजा, के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पता चला कि वीडियो मे गांजा बेंच रहा व्यक्ति थाना क्षेत्र दोस्तपुर निवासी करैथा गोसरपुर का रहने वाला है। इसके सम्बन्ध में और जानकारी एकत्रित किया गया तो पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम सत्यनरायण पाल है तथा इसका सहयोगी अशोक कुमार निषाद है यह दोनों मिलकर अवैध गांजा का विक्रय व परिवहन करते हैं। इस पुख्ता सूचना पर पुलिस वाले आपस में जामा तलाशी एक दूसरे की ले किया कि पुलिस के लोगों के पास कोई भी अवैध आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। कारण मकसद बताकर गवाही हेतु जनता के लोगों से कहा गया तो भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुये। एक दूसरे की ले देकर इत्मिनान बमजबुरन पुलिस वाले इन लोगों की तलाश में बउम्मीद बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु खालिसपुर दुर्गा अण्डरपास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किमी0 155 बहद ग्राम खालिसपुर दुर्गा थाना दोस्तपुर पहुंचे थे कि दूर से ही पुलिस वालो को देखकर मुखबिर खास हाथ देकर रोका। उसके द्वारा बताया गया कि जिन लोगों की तलाश में आप जा रहे हैं यह अण्डरपास के नीचे अपनी दुकान अस्थाई रूप से लगाकर बेच रहे हैं। पुलिस अपने को सिखलाये छुपने के स्थान पर ठहर कर देखा कि 02 व्यक्ति सामान्य रूप से जमीन पर एक छोटा बाक्स लेकर व एक टीन का डब्बा तथा एक पे०टी०एम० रखे हैं तथा आने जाने वाले लोगों को अलग अलग रेट से किसी को 50 रूपये का, किसी को 100 रुपये का, किसी को 200 रुपये का, पुड़िया बना हुआ अवैध गांजे को दे रहा है तथा लोगों से नगद तथा पे०टी०एम० के माध्यम से रुपये ले रहा है।

अवैध गांजे की पुड़िया एक टीन के डब्बे में रखा है तथा नगद रुपये को एक छोटे बाक्स में रख रहे हैं। पुलिस वालों को पूर्ण विश्वास हो गया कि इन दोनों व्यक्तियो द्वारा अवैध गांजे का व्यापार किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है इसमें से एक व्यक्ति मौके पर मौजूद है जिसकी पहचान वीडियो के माध्यम से हो रही है। पुलिस वालों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लोग अवैध गांजा/मादक पदार्थ की बिक्री व तस्करी कर रहे हैं जिस पर एक बारगी घेरा मारकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूंछा गया तो एक ने अपना नाम सत्य नारायण पाल बताया तथा दूसरे ने अपना नाम अशोक कुमार निषाद बताया। जब इनके पास मौजूद वस्तु के बारे मे पूंछतांछ किया गया तो सत्य नारायण पाल ने बताया कि साहब करीब सात आठ महीने पहले दोस्तपुर चौराहे के पास मैं भांग का ठेका करीब 7 से 8 साल तक चलाया हूं, वही पर अशोक निषाद जो मेरे पास हमेशा से काम किया है रहता था वहीं पर भांग के ठेके की आड़ मे हम लोगों के द्वारा गांजा बेचने की आदत पड़ गयी थी। अब हमारे पास भांग का ठेका नहीं है इसलिए गावं के पास ही जमीन पर दो तीन घंटा लुक छिप कर गांजे का बिक्री कर लेते हैं और प्राप्त रुपये से परिवार तथा अशोक का परिवार का जीवन यापन होता है। टीन के डिब्बे में जो सामान है वह गांजा है जो पुड़ियो में अलग अलग मात्रा मे अलग–अलग रेट से बेचने के लिए बनाकर रखा है तथा कुछ माल अभी समुचा पड़ा है तथा कुछ पैकेट फाड़कर दो पन्नियो मे पुड़िया बनाने के लिए रखा गया है। रुपये को हम लोग नगद इस छोटे से लकड़ी के बक्से में रखे है तथा पे०टी०एम० से भी हम लोग रुपये लेते हैं। यह पे०टी०एम० अशोक कुमार निषाद के नाम से इसी के मो0 न 0 6386017482 से हम पर है यह बहुत पहले से चल रहा है कि आप लोगो द्वारा आज पकड़ लिया गया हमारे पास की मात्रा करीब 2 किग्रा0 से ऊपर है। है। करीब 3 किग्रा0 पूरा माल था जिसमे से गांजा लोगो ने काफी माल बेच दिया है जो शेष बचा है वह बता रहे है। अभी तक कुल हम लोगो ने कुल 2300 रू0 (तेइस सौ रूपये) का माल बेचा है जैसे ही हम पुलिस वालो को पता चला कि अवैध गांजा पकड़े गये व्यक्तियो द्वारा रुपये लेकर अवैध तरीके से विक्रित किया जा रहा है। थोड़ी सी मात्रा लेकर स्वयं व हमराहीगण से सूघा व देखा गया तो वास्तव में गांजा है पकड़ा गया सामान मादक पदार्थ है। पकड़े गये व्यक्तियों से अवैध गांजा बेचने का विक्रय पत्र तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे। गांजे की मात्रा विवेचना किट से तराजू निकाल कर वजन किया गया तो इसकी मात्रा 1.026 किग्रा ० तथा दूसरी काली पालीथीन मे खुला गांजा 0.503 किया० तथा तीसरी काली पालीथीन में 0.498 किग्रा0 गांजा तथा एक पालीथीन मे कुल 25 पैकेट जिसमें 10 पैकेट पर 50 रू0, 10 पैकेट पर 100 रू0 तथा 05 पैकेट पर 200 रू० लिखा है। जिसे अलग से बतौर नमूना मुहर रखा गया। कुल अवैध गांजा 2.145 किग्रा0 बरामद हुआ।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एन०डी०पी०एस०) ने जमानत का विरोध करते हुए यह कहा है प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। घटनास्थल से 2 किलो 145 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में घटनास्थल से 2 किलो 145 ग्राम

गांजा बरामद होना बताया गया है। कथित बरामद गांजे की मात्रा स्मॉल क्वान्टिटी से ज्यादा लेकिन कॉमर्शियल क्वान्टिटी से अत्यधिक कम है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–16.06.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सत्यनारायण पाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2117/2026, अपराध संख्या–132/2025, धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, थाना– दोस्तपुर, जिला–सुलतानपुर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु०– 75,000/– (पचहत्तर हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उन पर दबाव डालने का कोई प्रयास इत्यादि करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान आरोप विरचन की तिथि, बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किये जाने की तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा और न ही उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ करेगा।

(श्याम मोहन जायसवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० ऐक्ट), कोर्ट संख्या–04 सुलतानपुर।
(J.O. Code– UP 2651)

दिनांक–30.06.2026
Deependra Singh
(Steno)

Digitally signed by SHYAM MOHAN JAISWAL
Date: 2026.07.01 10:24:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court